guilty and on conviction were sentenced by me to imprisonment till the rising of the Court. After I rose for the day, they were released."

13.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

GOLD (CONTROL) BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri S. M. Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I would like to say . . .

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने भी इस बिल को पेश किया जाने का विरोध करने की सूचना दे दी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under the rules the hon. Member will have to give notice. Out of them only the hon. Member whose notice was received first will get an opportunity.

श्री देवेन सेन : यह बिल बहुत महत्व रखता है। इस लिए मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is true that if it is challanged on the question of competence then there is some latitude for the debate.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : हम तो काम्पीटेंस पर भी और सिद्धान्तों पर भी इस का विरोध कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, unless you can make out a point that on the basis of competence you are challenging, you cannot get an opportunity. Even then, it would be limited to a few minutes.

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose this Bill at the introduction stage. I have carefully read the Statement of Objects and Reasons. It says that:

> "in the light of experience gained from the actual working of the gold control measure, some new provisions were also introduced with a view to removing administrative lacunae and providing certain additional facilities to the general public."

The Bill is being introduced to replace the Ordinance. The Ordinance was promulgated on the 29th June, 1968. It is true that we can move a motion separately disapproving of the Ordinance. In fact, there is a motion in the name of Shri Yashpal Singh towards that end. Here all I would like to say is that gold control has failed and the purpose for which it was brought forward has been defeated. It is high time that government realises the futility of this measure, the failure after failure of this measure and scrap it in the interest of the country and in the interest of the goldsmiths and also in the interest of the government. Let the Finance Minister, who is capable of admitting his failures, who has the courage of conviction to undo things also . . .

SHRI MADHU LIMAYE: Question.

SHRI S. M. BANERJEE: Well, that is my belief. Let him declare boldly that the government has miserably failed in this matter. The gold control measure was intended to serve three purposes. Firstly, the price of gold will come down and it will compare with the international price; secondly, smuggling in gold

[Shri S. M. Banerjee]

will be less and, thirdly concealed gold will come to the surface. Has smuggling stopped? No. On the other hand, it has increased as compared to what it was in 1967 or 1966. Even today there was a question which was not answered; otherwise, much more gold would have come to the Table of the House.

So, in all seriousness and earnestness, I would submit that it is high time that the Finance Minister who is also the Deputy Prime Minister should realise the futility of this and scrap this Bill and withdraw it in the larger interest of everyone.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there are two or three names in the list before me. I cannot permit them all unless they point out that this Bill is beyond the legislative competence of this House. If they are going to argue on this point then I would permit them, otherwise not.

SHRI MADHU LIMAYE: What about delegated legislation?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That cannot be raised now. The only point which can be raised is whether this Bill is outside the legislative competence of this House.

श्री मधु लिमये : मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाली बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him point out which part of the delegated powers is beyond the legislative competence of this House.

श्री मधु लिमये : मेरे कहने का मतलब यह है कि इस में जो अधिकार नियम बनाने के इन को डेलीगेट किए गए हैं उस से इसके असंवैधानिक होने का खतरा है । इस लिए उस पर हमें बोलने की इजाजत दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय, आप प्राविजन 115 देखिए, इस में कितने व्यापक अधिकार दिए गए है ? जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में इन्होने मेमोरेंडम दिया है, उस को आप देखिए ।

"Clause 115 of the Bill empowers the Central Government to make rules to carry out the purposes of this Act. The matters in respect of which rules may be made are specified in sub-clause (2) and they relate, *inter alia*, to specifications of dimensions, weight, fineness and markings for standard gold bars, particulars to be stamped on ornaments, prescription of various forms of licences, certificates . . .

वगैरह । और अंत में इन का यह कहना है कि :

"The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.".

इसी के बारे मेरा आक्षेप हैं और मेरा यह कहना है कि इस में बहुत व्यापक अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है जिस से न केवल अन्याय होगा बल्कि अगर मामला अदालतों में जायगा तो मुझे ऐसा सन्देह है कि अदालतों इन नियमों को कबूल नहीं करेंगी आखिरकार, स्वयं वित्त मंत्री ने कबूल किया है कि संकतट कालीन स्थिति की घोषणा को वापस लेने के पश्चात् नई स्थिति आई है । पुराने जो स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी कानून और नियम थे वह भारत सुरक्षा कानून के दायरे के अन्दर थे और इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि नये सिरे से हम देखें और जो हमारे संविधान के अनुकूल हो उन्हीं नियमों को बनाने का अधिकार इन को दिया जाय । एक बात इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से स्वर्ण नियंत्रण कानून का इस्तेमाल किया गया है उस से मुझे ऐसा लगता है कि केवल जो छोटे लोग है उन्हीं के खिलाफ इस का इस्तेमाल

हो रहा है। आप यह जो 17 वां क्लाज है इस को देखिए, यह इतना व्यापक है कि पजेशन, कस्टडी ऐंड कंट्रोल आफ एनी आर्टिकल आर अर्नामेंट—आप को याद होगा, दो साल पहले हम ने राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़िया का मामला उठाया था और बहुत सारा सोना ऐसा था करीब 163 किलो ....

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सुखाड़िया का मामला इस में कहाँ से ले आये।

श्री मधु लिमये : हाँ, आयेगा, जरूर आयेगा। जब आप चोरी को छिपाने की कोशिश करोगे और उस के ऊपर चादर बिछाओगे और वित्त मंत्री फिर चरित्र की और नैतिकता की बात करेंगे तो यह मामला जरूर उठेगा।

तो अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा 1966 में हम ने राष्ट्रपति को जो मेमोरेंडम दिया था उस में यह साफ कहा था कि यह चोरी का यानी जिस को घोषणा नहीं हुई थी ऐसा करीब करीब 153 किलो सोना सुखाड़िया की न केवल जानकारी में आया बल्कि जिस को कंट्रोल कहा जाता है, नियंत्रण में आया था। सुखाड़िया के कहने पर वहाँ के वित्त सचिव ने एक पत्र उदयपुर के कलेक्टर के नाम लिखा था और उस में उन्होने लिखा कि शास्त्री जी को स्वर्ण तुला के लिए यह सोना खजाने में जमा किया जाय। तो इस सोने के बारे में मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): On a point of order. May I know whether this is relevant?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has expressed a doubt whether the power given under the rule-making power would come within the competence of the House.

SHRI MORARJI DESAI: But this relates to the other case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the hon. Minister is referring to the case of Shri Sukhadia, then his point is right.

श्री मधु लिमये : नहीं नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। उस का उल्लेख तो मैं ने इसलिए किया ..... (**व्यवधान**) .. प्वाइंट आफ आर्डर है तो मैं बैठ जाता हूं।

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): My point of order is this. You have just given your opinion that only competence of the House in regard to this Bill has to be discussed and not any other matter. But the hon. Member is bringing in all other matters and he is speaking as if the Bill itself is being discussed now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members should confine themselves only to the aspect of legislative competence.

SHRI S. M. BANERJEE: Let my hon. friend repeat it again so that my hon. friend Shri D. N. Tiwary may hear it.

श्री मधु लिमये : मैं केवल दो ही सवाल उठा रहा हूं जिस पर आप निर्णय दीजिए। यह जो विधेयक है उस का उद्देश्य अगर सचमुच स्वर्ण-नियंत्रण है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हजारों लाखों स्वर्णकार यहाँ पर है उन से सलाह मशविरा या बातचीत करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। यह नई स्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार भी यह कबूल कर रही है। संकटकालीन स्थिति नहीं है। तो इस को इस दृष्टि से

[श्री मधु लिमये]

देखना चाहिए कि जितने व्यापक अधिकार इन्होंने अपने हाथ में लिए हैं क्या संकटकालीन स्थिति के न रहते हुए यह वैध माना जायगा विशेष कर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उस का भी मैं ने उल्लेख किया है । सुखाड़िया का उल्लेख तो मैं ने इसलिए किया था कि यह मैं ने प्रधान मंत्री के सामने साबित किया था कि सुखाड़िया का 15? किलो सोने पर कंट्रोल हो चुका था क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होता तो वित्त सचिव को कसे वह कहते कि चिट्ठी लिखी उदयपुर के कलेक्टर को कि यह सोना जमा करो। उस में शास्त्री जी का जितना वजन था उतना ही सोना जमा हुआ । बाकी सोने के बारे में मैं ने लगातार दो साल से सवाल किए हैं लेकिन वित्त मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा है ......

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not relevant to the main issue.

श्री मधु लिमये : चूंकि दल की आन्तरिक राजनीति में सुखाड़िया चव्हाण साहब का और आप का समर्थन कर रहे हैं इस लिए आप ऐसे पापों पर चादर बिछाने का काम कर रहे हैं। मैं माँग करता हूं कि यह सारा सोना सरकार अपने कब्जे में लेकर उस की इत्तिला सदन को दे कि यह सोना रिजर्व बैंक में जमा हो चुका है और सुखाड़िया को अपने अधिकार पद से मुक्त कर के उन के ऊपर कानूनी कार्यवाही करें ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That observation is not relevant to the main issue.

श्री मधु लिमये : नहीं, यह जरूरी है, पृष्ठभूमि के तौर पर।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members should confine their remarks only to the question of legislative competence.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के 118 नम्बर क्लाज की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । डेलीगेटड लजिस्लेशन वाले मामले पर मधु लिमये जी ने बताया कि कैसे यह डर है कि अगर कोई इस कानून को अदालत में ले जाये तो वह गैर-कानूनी कर के इस को तय करेंगे ..

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member has referred to clause 118. It has been stated there:

"Not inconsistent with the provisions of this Act..."When rules are framed, only if they are inconsistent, this question will arise. Here, power is being taken consistent with that. That has been made very clear".

श्री मधु लिमये : नहीं, यह नियम नहीं है। यह आर्डर है। यह तो बिलकुल अवैध है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : माननीय उप-प्रधान मंत्री महोदय भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि इस कानून का आखरी फैसला इस संसद् में नहीं होने वाला है, वह तो अदालत में होने वाला है और इसलिए यह अधिकार वह लेना चाहते हैं कि :

'If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order . . ."

यह तो बिलकुल सीधा है।

" . . . do anything . . . which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.".

यह मैं नहीं समझता हूं कि किसी कानून में इस किस्म का अधिकार अपने हाथ में लेने का काम सरकार ने किया है । नियम बनाने का अधिकार तो सरकार अपने हाथ में लेती है लेकिन अगर इस कानून को अमल

में लाने के लिए भी कोई दिक्कत आती हो तो एक सीधा हुक्म निकाल कर यह चाहे जिस चीज को कर सकते हैं। यह प्रजातंत्र वाली बात तो रह हो नहीं गई कि सरकार के हाथ में पूरा अधिकार दे दिया जाये। इस तरह से एक क्लाज विधेयक के अन्दर जोड़ कर जिस की तरफ कि किसी की नजर न जाय ऐसा ख्याल रख कर यह बिल यहां पर पेश करना किसी तरह मुनासिब नहीं है।

मैं समझता हूं कि सरकार अपने अधिकारों के बाहर जा रही है, अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, संसद् का दुरुपयोग कर रही है।

इस बात की भी आवश्यकता है कि इस कानून को लाने के पहले, जिनके सम्बन्ध मे यह कानून है, जैसे आप प्रियेम्बल को देखिये —

> "A Bill to provide in the economic and financial interest of the community for the control of the production, manufacture, supply, distribution" etc.

इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि इस कानून से जिनका सब से ज्यादा रिश्ता है —वह स्वर्गकारों का रिश्ता है, इन लोगों की हालत आज क्या से क्या हो गई है, 1963 से जब से गोल्ड कंट्रोल एक्ट डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्ज के अन्तर्गत यह सरकार लाई, मोरारजी भाई उन दिनों सरकार मे थे, तब से लेकर आज तक, स्वर्णकार समाज की क्या हालत हो गई है इस की जानकारी फिर से देने की जरूरत नहीं नहीं है, सैकड़ों लोगों ने आत्म हत्या की, कई कुटुम्ब जहर खाकर मर गये हैं कूओं में डूब कर मर गये, यह सब आपकी मेंहरबानी से हुआ। आज भी जब आप इस किस्म के कानून को ला रहे हो, जिनका इस से सब से ज्यादा सम्बन्ध है, उन से बात-चीत करने के लिये तैयार नहीं हैं। उन का अखिल भारतीय स्वर्गकार संघ बना हुआ है, जिसकी सूबों मे अलग-अलग शाखायें हैं, उन से आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। जब आप समाज की भलाई के लिये कोई काम करना चाहते हैं, तो जिन से, इस का सब से ज्यादा सम्बन्ध है, उन से सलाह मशविरा करने की जरुरत है। आप उन की बात मत मानिये, लेकिन उन से पूछने की जरुरत है कि हम आपके लिये नया कानून ला रहे हैं, आपके क्या क्या सुझाव हैं। इस में कोई पाप नहीं हो जायगा, सरकार की आबरू नहीं चली जायेगी।

जहा तक मेरी मालूमात हैं और जैसा बनर्जी साहब कह रहे हैं कि सचिव चौधरी जी ने इस किस्म का आश्वासन दिया था, जब वह वित्त मंत्री थे। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इन लोंगों से सलाह मशविरा करें।

दूसरी बात यह है कि इस मे जो क्लाज 118 दी गई है, उस को देखते हुए यह विधेयक यहां पर पेश नहीं हो सकता। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अधिकार मांग रहे हैं, वे संविधान के विपरीत हैं और इस को मैं कतई मन्जूर नहीं कर सकता।

श्री द्वा० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष जी,..

श्री मधु लिमये : आप जवाब दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : आपके तर्कों को काट रहा हूं।

श्री मधु लिमये : आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो विरोध कर सकते हैं या संवैधानिक आपत्ति उठा सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under the provisions an hon. Member, who has given notice or has written to the Chair previously, will get an opportunity to say something at the introduction stage opposing it; others, if they have any point regarding the legislative competence of the House, then alone they can speak. If you have anything to say about that, you can do so.

SHRI D. N. TIWARY: I want to say about that.

श्री मधु लिमये : विरोध करेंगे न ? ये विरोध नहीं करेंगे तो कैसे होगा ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष जी, इस सदन की यह परिपाटी बनती जा रही हैं . . . .

श्री मधु लिमये : विरोध नहीं करेंगे, तो कैसे बोल सकते हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर): हम पूछना चाहते ह कि ये विरोध कर रहे हैं, क्या ? ये कहे कि मैं विरोध कर रहा हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): यह कहे कि जो हम बोलें हैं, उस का विरोध कर रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं बताने जा रहा हूं कि यह हाउस कम्पीटेन्ट है या नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: On this issue I can permit even a little longer discussion provided the issue of competence is raised. He need not write to me because he is speaking on the question of competence.

श्री द्वा० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष जी, इस सदन मे एक परिपाटी बनती जा रही है कि जब मन मे आयें, जो मन में आये हम बोलते जायें, उस की जरूरत हो, न हो वह सामयिक हो या न हो । आपके निदेशानुसार इतना ही डिस्कशन हो सकता है कि हाउस कम्पीटेन्ट है या नहीं है इस बिल को डिस्कस करने के लिये । लेकिन मैं सुन रहा हूं – अण्ड, बण्ड, सारी बातें, दुनिया भर की जो भी बातें हो सकती हैं वे की जा रही हैं । एक भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि हाउस कम्पीटेन्ट है या नहीं है । एक मित्र ने भी यह दलील नहीं दी कि हाउस कम्पीटेन्ट नहीं है ।

श्री मधु लिमये : मैंने दी है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार अपनी शक्ति से बाहर जा रही है, स्वर्णकार मर गये, फांसी पड़ गये, आत्म-हत्या कर ली– इन बातों को इस समय हाउस डिस्कस नहीं कर सकता । मैं आप को बताने जा रहा हूं कि यह हाउस इस बिल को डिस्कस करने के लिये पूरा कम्पीटेन्ट है । जो कठिनाइयां पहले कानून मे देखा गई हैं, उन को दूर करने के लिये ही यह अमेण्डमेन्ट यहा पर लाया गया है. . . . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Is he relevant?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Once you open the debate on its competence, there is no end to it.

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस समय जो कानून है, उस की कार्यप्रणाली मे जो त्रुटियां अनुभव हुई हैं, उनको दूर करने के लिये यह अमेण्डमेन्ट आया है । अब सवाल यह है कि इस अमेण्डमेन्ट को करने का इस हाउस को राइट है या नहीं है, वह कम्पीटेन्ट है या नहीं है–यही एक छोटा सा सवाल है यह सवाल नहीं है कि यह पेश होगा या नहीं होगा, किसकी राय से पेश हो, किस को कन्सल्ट किया जाये, यह सवाल आज नहीं उठता । यह सवाल तब उठेगा, जब बिल डिस्कस होने

लगेगा, तब इसे पब्लिक ओपीनियम के लिये भेजा जा सकता है, सिलैक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है, गवाहियां ली जा सकती हैं, लेकिन ग्राज यह सवाल नहीं है। ग्राज हम को यह देखना है कि इस हाउस को राइट है या नहीं है कि यह बिल हाउस के सामने ग्राये ग्रौर हाउस इस को डिस्कस करे।

हर तरीके से हम समझते हैं कि इस ग्रमेण्डमेन्ट को लाने के लिये ग्रौर इस को डिस्कस करने के लिये हाउस को पूरा राइट है। ऐसी दलील नहीं दी गई है, जिस से यह समझा जायें कि हाउस को राइट नहीं है। एक भी दलील इस प्रकार की पेश नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि स्वर्णकारों ने ग्रात्म हत्या कर ली हैं, मर गये हैं, सड़ गये, सुखड़िया ने इतना पैसा ले लिया है, सोना ले लिया है, इन बातों से ग्राज इस का क्या ताल्लुक है। ग्रपोजीशन मेम्बर्स जरा समय को समझ कर बात किया करें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई बात हो, गालियां देने लग जायें। गालियां ग्राप दे सकते ह, हम को गालियां दे सकते हैं–यह दूसरी चीज है, लेकिन डिस्कशन नहीं हो सकता है, इस के बारे मे प्वाइंटस् कहिये कि क्यों डिस्कशन नहीं हो सकता है, क्यों हाउस काम्पीटेन्ट नहीं है। जितनी दलीलें दी गई हैं, सब थोथी हैं, हाउस इस को डिस्कस करने के लिये पूरा कम्पीटेन्ट है ग्रौर हम को इसे डिस्कस करना चाहिये।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): On a point of competence, I have to make a submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tiwary, I may point out that apart from the extraneous matters, two questions of competence were raised. At this stage, under the Rules, a little discussion is allowed. It is permitted in order to caution the Government that perhaps there are certain clauses which may be of a doubtful validity. That is the only thing raised. He raised only two issues about clause 118 which gives an omnibus type of power and about the rules. To that extent, they were relevant. Other matters were extraneous.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): May I submit that clause 115 clearly defines the various matters in respect of which the rules may be made? That relates to delegated legislation. The point is that they have framed clause 115 which includes so many items in respect of which rules may be made. Therefore, clause 118 becomes redundant and it may become invalid. It may even become *ultra vires*. And that will affect the validity of the entire Act. It may have to be scrapped. I would like to caution the Finance Minister on this issue that clause 118 should be deleted. I would, particularly, draw your attention to this. It says:

> "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Central Government may, by order, do anything which appears to it to be necessary . . ."

What does 'anything' mean? What is the Parliament for? For giving powers to the Government to do anything? Simply they have added a proviso, "not inconsistent with the provisions of the Act". This does not make it a viable provision.

Secondly, in Clause 40 it has been stated that if a person has been given some rehabilitation loan and he loses that money, he would not be allowed to have the licence back. That means that a poor goldsmith who was intended to be rehabilitated and who lost the money because he embarked on an enterprise which he did not properly understand, is not to be given the licence back....

MR. DEPUTY-SPEAKER: This has to be argued at the time of discussion, not now.

SHRI S. S. KOTHARI: Sir, I am connecting my argument. That means that he cannot re-enter his profession. This is depriving him of his fundamental right. This is inconsistent with the provisions of the Constitution. It is a man's fundamental right to re-enter his profession. But under Clause 40, if a goldsmith has taken some loan from the Government and he has not repaid it, he cannot re-enter the profession. How can the fundamental right of the goldsmith to re-enter his profession be taken away by Clause 40 of the Bill? This is inconsistent with article 19 of the Constitution; it violates the fundamental right of the goldsmith. Therefore, I would request the Finance Minister to reconsider and withdraw clauses 40 and 118 in view of what is stated in Clauses 115 which gives sufficient powers to the Government.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: Hon. Member, Shri Fernandes, has tried to confuse the House. Clause 118 does not offend the provisions of the Constitution. In the 'Statement of Objects and Reasons', it has been made amply clear:

> "In view of the basic change in the pattern of control, the Gold (control) Act, 1965, could not be brought into force in its existing form. To bring the 1965 Act into conformity with the modified pattern of control would have necessitated a large number of amendments in almost all the important provisions which would have made the law cumbersome and somewhat difficult for the public to comprehend and for the officers to administer. Accordingly, a self-contained Bill was necessary."

It was to help the Constitution to work in this country in a particular manner that this Bill has been brought before this House. The hon. Member has tried to confuse the House. When the Bill is passed into an Act, if there is some difficulty in operating this, in order to remove that the Central Government has taken certain powers. It is in the competence of the Central Government to have certain powers under certain circumstances. Therefore, the question raised by the hon. members on the Opposite about competence cannot hold good.

SHRI SHEO NARAIN: In rule 72 of the 'Rules of Procedure', it is said:

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon....."

Are you permitting a full discussion now?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall have to interpret what is meant by 'full discussion'. The 'full discussion' is in reference to the point of competence that has been raised and not anything beyond this.

The Finance Minister.

SHRI MORARJI DESAI: Whatever may be the purpose of the Opposition, I certainly thank them for drawing my attention to what they think is very important, the competence of Government to bring in this Bill or to legislate in this matter.

SHRI MADHU LIMAYE: Competence of this Parliament.

SHRI MORARJI DESAI: I stand corrected.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री मोरारजी देसाई : हिन्दी में बोलने से मुझे कोई हर्ज है तो नहीं लेकिन कोई कहते हैं कि हिन्दी में बोलो और कोई कहते हैं अंग्रेजी में बोलो ।

एक माननीय सदस्य : कोई नाखुश नहीं होगा ।

श्री मोरारजी देसाई : कोई तो नाखुश जरूर होंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No dictation on this issue.

श्री मोरारजी देसाई : डिक्टेशन तो मैं लेने वाला हूं नहीं इसलिए उस बात का कोई सवाल नहीं है ।

श्री मधु लिमये : आपको कौन डिक्टेट करेगा ? भगवान भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : भगवान को जो नहीं मानते और जो भगवान नहीं बने हैं, अगर ये भगवान होते तो मैं जरूर सब कुछ मान लेता, लेकिन नहीं हैं मैं क्या करूं, वह भी दावा नहीं करते हैं तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। हां, बाकी सारी जानकारी का दावा करते हैं और प्रामाणिकता का दावा करते हैं लेकिन बाकी के सारे लोग झूठे हैं—गवर्नमेन्ट वाले तो झूठे हैं ही—उनका अधिकार है यहां कहने का, मैं उनको कैसे रोक सकता हूं । मैं सुनता हूं लेकिन मुझे दुख होता है, उनके लिए ही दुख होता है कि इस तरह से उनकी बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। यही मुझे दुख है, कोई दूसरा दुख नहीं है । मैं उनका दोस्त हूं, वे मुझे दोस्त मानें या न मानें । मैं उनकी शक्ति, बुद्धि और निष्ठा की काफी कद्र करता हूं लेकिन इससे ही सारी बातें नहीं चल जाती हैं ।.....(**व्यवधान**)... इसीलिये दुख होता है कि बुद्धि का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। ये बराबर कहते रहते हैं तो मुझे भी हक है इनको कहने का । ...(**व्यवधान**).... ये हंसते रहते हैं तो मैं कहता हूं, अगर गुस्से में आ जाते हैं तो बोलना बन्द कर देता हूं क्योंकि मैं गुस्सा करूंगा नहीं । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये कुछ भी कहेंगे, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा । लेकिन मैं कहमा हूं आप मेहरबानो करके सोचिये, आप जो कहते हैं वह सही है या नहीं, उसको भी सुनने की मेहनत कीजिए। आप सही ही कहते हैं इसको मानकर न चलिए । इतनी ही मेरी गुजारिश है ।

अब बात आई तीन मुद्दों पर । एक तो कहते हैं कि यह जो कानून है वह निकम्मा हो गया है यानी इससे कोई सार्थकता नहीं हुई और इसका कोई फल नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला । यह एक मुद्दा है इस बिल के खिलाफ इन्ट्रोडक्शन में । मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं । लेकिन सम्मानित सदस्य भूल जाते हैं कि मैं तब गवर्नमेन्ट में नहीं था जबकि यह इंकिट-मेन्ट हुआ सन् 1965 में । मैने उसको नहीं किया । 65 के बाद फिर सुधार किया इसलिए कि बिल अमल में ही नहीं आया तो डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स में रूल्स बना दिए और वह भी पार्लिआमेंट में पेश हुए, काफी कमेटियां बनीं, कई बार बनीं । उन्होंने कहा होना ही चाहिए । ....(**व्यवधान**).... मुझे अचरज भाई कोठारी का नहीं होता है, मैं जाता हूं कि उनके पक्ष में रहेंगे मगर मुझे दुख होता है और अचरज होता है भाई बनर्जी और मधु लिमये जी का कि जो हमेशा गरीबों के लिए अपना दिल तड़पा रहे हैं—मैं मानता हूं कि तड़पा रहे हैं—लेकिन जब वे गरीबों के लिए अपना दिल तड़पा रहे हैं तब वे सोने के मोह में क्यों पड़े हुए हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता । सोने के मोह से गरीब और गरीब बन रहे हैं, यह नहीं समझते हैं । सोने के कानून की जरूरत इस देश में सब देशों से ज्यादा है क्योंकि यहां सारा अर्थ-तन्त्र इससे खराब हो रहा है। यह क़ानून से नहीं सुधरेगा ऐसा कहा जाता है तो वह भी ग़लत है। जब पहले क़ानून यहां बना 1963 में तब सोने के भाव गिर गये थे । तीन महीने के अन्दर 30 फ़ीसदी गिरे थे । बाद में आप लोगों के दबाव से उस कानून को ढीला कर दिया । चूंकि वह कानून ढीला कर दिया गया इसलिए फिर

[श्री मोरारजी देसाई]

ऊपर की ओर चले । वह इतना ढीला भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि उस से भी काफ़ी ख़राबी होगी । इसलिए ज्यादा ख़राबी न हो इस की जरूरत समझी गई और इसी नीयत से मैं यह बिल हाउस के सामने लाया हूं । यहां मैं यह चीज़ भी साफ़ कर दूं कि मौजूदा बिल से मुझे पूरा संतोष नहीं है और मेरी राय में इस से काफी सख्त कानून होना चाहिए था । लेकिन उस क़ानून की आज हवा न हो तो ठीक है । उस के लिए हमें हवा बनानी पड़ेगी । वैसी हवा बनेगी ऐसा मेरा विश्वास भी है । अभी फिलहल मैं यह बिल मंजूरी के लिए लाया हूं । लेकिन यह कहना कि मौजूदा क़ानून से कोई सफलता नहीं मिली इस से ज्यादा ग़लत बात और कोई नहीं हो सकती है । इस क़ानून की ज़रूरत है यह ठीक है कि इससे वह सब मिल नहीं गया और वह सब कुछ हो नहीं गया जोकि हम चाहते थे, ज़रूर वह सब नहीं अभी हो पाया है लेकिन उस से काफ़ी सहूलियत होती जाती है । जो हम इसके लिए क़दम उठा रहे हैं उन क़दमों का भी कुछ नतीजा अब हो रहा है । कुछ महीने में मैं मानता हूं कि इससे दूसरा नतीजा मिलेगा ।

अब बहस स्वर्णकारों के लिए है । स्वर्णकारों को इस में क्या विरोध हो सकता है । जो विरोध था वह 14 कैरेट का था तो 14 कैरेट तो निकल गया । अब क्या विरोध स्वर्णकारों को है यह मेरी समझ में नहीं आता है । क्या आप यह चाहते हैं कि स्वर्णकारों के लिए यहां चोरी का सोना आने दिया जाये ? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर इस बिल में है क्या जिससे कि स्वर्णकारों को मुसीबत होती है ?

एक माननीय सदस्य : क्लाज़ 40 को देख लीजिये ।

श्री मोरारजी देसाई : क्लाज़ 40 ही क्या वह सारा क़ानून देखा है और हमारा बनाया हुआ है । इस के अलावा क्या स्वर्णकारों के लिए हिन्दुस्तान चलता है ? क्या हिन्दुस्तान का अर्थ-शास्त्र स्वर्णकारों के लिए चलेगा ? यह कौन सा सवाल है कि हम स्वर्णकारों को पूछ कर क़ानून लायें ? मैं पार्लियामेंट के सिवाय और किसी से पूछने के लिए बाध्य नहीं हूं । यह बात बिल्कुल ग़लत है और उस का कोई अधिकार नहीं है कि मैं उन से पूछूं . . .

एक माननीय सदस्य : मगर पूंजीपति लोगों को तो आप पूछते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : जब मैं इनकम टैक्स का क़ानून लाता हूं तो मैं उन को भी नहीं पूछता हूं । उन को मैंने कभी नहीं पूछा है । वैसे जैसे मैं पूंजीपति लोगों से मिलता रहता हूं वैसे ही किसी वक्त स्वर्णकारों से भी हमेशा मिलता रहता हूं । उन को भी मैं ने समझाया है । यह बात नहीं है कि उन की बात मैं नहीं जानता हूं इसलिए यह जो दलील दी गई है उस में भी कोई दम नहीं है ।

अब बाक़ी रहा यह सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मामला । अब इसे दुबारा सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है । वह सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है और इस पर वहां पहले काफ़ी बहसें आदि हो चुकी हैं । इसलिए अब मैं इस को पुनः सेलेक्ट कमेटी में ले जाने वाला नहीं हूं ।

अब यह कौम्पीटेंस की बात आती है । मुझ से सवाल पूछा गया कि दूसरा कौन सा कानून है जिसमें यह दफ़ा 118 रखी गई है जैसे कि यह है । मेरा कहना है कि यह कस्टम्स ऐक्ट 1962 में है इसलिए इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं आ गयी है जोकि और कहीं न हो । माननीय सदस्य सारे क़ानून नहीं जान सकते । जब मैं सब नहीं जानता हूं तो वह कैसे जानेंगे ? बाक़ी इतना उन को समझ लेना चाहिए कि इस में जो कहा गया है वह डिफिकल्टीज़ निकालने के लिये कहा गया है । ऐसे क़ानून में कहीं पेचीदगी पैदा हो जाती है जिसमें क़ानून तो बराबरी हो मगर शब्दों में कुछ ग़लती होती है तो उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार के पास कुछ न कुछ सत्ता तो होनी ही चाहिए । इस में यह भी

कहा गया है कि कानून के खिलाफ ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया जायगा । इसलिए यह गलत नहीं हो सकता है । पार्लियामेंट की सत्ता तो पूरी है । पार्लियामेंट राज्यों को जो सत्ता देना चाहे वह दे सकती है । जितनी पावर वह डेलीगेट करना चाहे उतनी वह डेलीगेट कर सकती है । इसलिए पार्लियामेंट के मंजूर करने के बाद वह गैर-क़ानूनी नहीं हो सकता है । इस में मुझे कोई शक़ नहीं है हां हर एक पार्लियामेंट का मेम्बर इस बात को कहने के काबिल है कि कानून क्या हो और क्या न हो । वह जो चाहे कहे मगर चूंकि वह ऐसा कहने के काबिल हैं इसीलिए वह बात उन की सही है तो ऐसी बात तो है नहीं । मैंने इस कानून को बहुत देखा भाला है और मैं मानता हूं कि कानून बिल्कुल सही है । वह दोनों जो रखे गये हैं उन में कोई गलती नहीं है । यह गैर क़ानूनी हो नहीं सकता है इस में मुझे कोई शक़ नहीं है । इसलिए मैं इस विरोध को कबूल नहीं कर सकता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, manufacture, supply, distribution, use and possession of, and business in gold, ornaments and articles of gold and for matters connected therewith or incidental thereto;"

The Lok Sabha divided:

Division No. 1) **AYES** (14.49 hrs.

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhakt Darshan, Shri
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Chanda, Shri Anil K.
Chandrika Prasad, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Choudhary, Shri Valmiki
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri B. D.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Himatsingka, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Kamala Kumari, Shrimati
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laxmi Bai, Shrimati
Mahajan, Shri Vikram Chand
Malhotra, Shri Inderjit
Mandal, Dr. P.
Mane, Shri Shankarrao
Marandi, Shri
Masuria Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mishra, Shri G. S.
Mohsin, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Mudrika Singh, Shri
Naghnoor, Shri M. N.
Pal Choudhuri Smt. Ila
Pandey, Shri K. N.
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manibhai J.
Patel, Shri Manubhai
Patil, Shri A. V.
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri S. D.
Pramanik, Shri J. N.
Radhabai, Shrimati B.
Raju, Shri D. B.
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganath
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati, Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.

Saigal, Shri A. S.
Sanghi, Shri N. K.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sen, Shri Dwoipayan
Sen, Shri P. G.
Shah, Shrimati Jayaben
Shastri, Shri Sheopujan
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddeshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Sinha, Shri R. K.
Snatak, Shri Nar Deo
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Tula Ram, Shri
Veerappa, Shri Ramachandra
@Viswanatham Shri Tenneti

NOES

Abraham, Shri K. M.
Amat, Shri D.
Ayarwal, Shri Ram Singh
Banerjee, Shri S. M.
Basu, Shri Jyotirmoy
Behra, Shri Vaidhar
Berwa, Shri Onkar Lal
Bhagaban Das, Shri
Bharat Singh, Shri
Birua, Shri Kolai
Chittybabu, Shri C.
Dange, Shri S. A.
Deo, Shri R. R. Singh
Digvijai Nath, Shri
Esthose, Shri P. P.
Fernandes, Shri George
Girraj Saran Singh, Shri
Gopalan, Shri A. K.
Gupta, Shri Indrajit
Gupta, Shri Kanwar Lal
Janardhanan, Shri C.
Jha, Shri S. C.
Jharkhande Rai, Shri
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kameshwar Singh, Shri
Kandappan, Shri S.
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kothari, Shri S. S.
Kushwah, Shri Y. S.
Limaye, Shri Madhu
Mahato, Shri Bhajahari
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Srinibas
Modak, Shri B. K.
Mody, Shri Piloo
Mukerjee, Shri H. N.
Muthusami, Shri C.
Naik, Shri G. C.
Nair, Shri Vasudevan
Nayanar, Shri E. K.
Paswan, Shri Kedar
Patel, Shri J. H.
Patil, Shri N. R.
Puri, Dr. Surya Prakash
Ramani, Shri K.
Samanta, Shri S. C.
Sequeira, Shri
Shah, Shri T. P.
Shah, Shri Virendrakumar
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri B. S.
Sharma, Shri Yajna Datt
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Shiv Kumar
Sreedharan, Shri A.
Tapuriah, Shri S. K.
Vajpayee, Shri A. B.
Yadav, Shri Jageshwar

14.50 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result† of the Divisions is:

Ayes 103; Noes 61.

The motion was adopted.

SHRI MORARJI DESAI: I introduce the Bill.

STATEMENT *RE*. GOLD (CONTROL) ORDINANCE, 1968

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

@Wrongly voted for 'Ayes'.

†The following Members also re-corded their vote:

AYES: Sarvashri B. N. Kathan, B. N. Shastri, K. Suryanarayana and Bibhuti Mishra and Shrimati Sucheta Kripalani.

NOES: Sarvashri Brij Bhushan Lal, Ramchandra J. Amin, N. K. Somani, Bansh Narain Singh, S. M. Joshi, Bhogendra Jha, Satya Narain Singh, Gunanand Thakur, S. N. Maiti, S. M. Krishna, Tenneti Viswanatham and Shrimati Suseela Gopalan.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part—II section 2, dt. 22-7-68.